International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 04, No. 01(I), January - March, 2022, pp.162-168

74वां संवैधानिक संशोधनः राजस्थान के संदर्भ में विशेष अध्ययन

महेश कुमार*
डॉ. नागेंद्रसिंह भाटी**

सार

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। इस लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है – सत्ता का विकेंद्रीकरण। अर्थात केंद्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक सता व शक्ति का विकेंद्रीकरण। भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 को लागू 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। इसके माध्यम से नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान का 74 वा संशोधन में नगरीय निकायों – नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में नगरीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। राजस्थान के संदर्भ में 74 वें संवैधानिक संशोधन का विशेष महत्व है, जिसके अंतर्गत नगरों में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ऐतिहासिक रूप से देखे तो राजस्थान में सर्वप्रथम राज्य की पहली नगर पालिका 1864 ईस्वी में माउंट आबू में स्थापित की गई। स्वतंत्रता के बाद सन 1951 में पहली बार 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951' लागू कर संपूर्ण राज्य के स्थानीय शहरी प्रशासन में एकरूपता स्थापित की गई, इसे 1959 में समाप्त कर नया ' राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959' क्रियान्वित किया गया। 74वा संविधान संशोधन लागू होने के बाद वर्तमान में राजस्थान के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली का संचालन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम– 1959 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार हो रहा है। 1 जून 1993 को लागू इस अधिनियम की अनुपालना में 9 अगस्त 1994 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत राजस्थान में तीन प्रकार की नगरीय स्थानीय संस्थाएं स्थापित की गई ।

- *नगरपालिका – 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों व कस्बों में प्रथम स्तर के रूप में नगर पालिका की स्थापना की गई । वर्तमान में राजस्थान में इनकी कुल संख्या 169 है।*
- *नगरपरिषद – एक लाख से अधिक तथा पांच लाख तक आबादी वाले शहरों में द्वितीय स्तर के रूप में नगर परिषद की स्थापना की गई। वर्तमान में राजस्थान में इनकी कुल संख्या 34 है।*
- *नगरनिगम – 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में तृतीय स्तर के रूप में नगर निगम की स्थापना की गई। राजस्थान में वर्तमान में इनकी कुल संख्या 10 है*

इस प्रकार राजस्थान में 74 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था में प्रत्येक निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी अपने–२ क्षेत्राधिकार की शक्तियों का उपयोग कर स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं तथा लोकतांत्रिक भागीदारी निभाते हैं।।

शब्दकोशः *74वां संवैधानिक संशोधन, नगरीय शासन, लोकतान्त्रिक भागीदारी, विकेंद्रीकरण।*

प्रस्तावना

स्थानीय शासन शब्द भारत को ब्रिटिश शासन से विरासत में प्राप्त हुआ है। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन का अधिकार देने की शुरुआत स्थानीय स्तर पर म्युनिसिपल संस्थाओं के माध्यम से की थी। डॉ. आर्शीवादम के अनुसार ' स्थानीय स्वशासन केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अधिनियम द्वारा निर्मित एक शासकीय इकाई होती है, जिसमें नगर या ग्राम जैसे क्षेत्र से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और वे

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान।
** सहायक आचार्य, शोध निदेशक, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्राप्त अधिकारों का प्रयोग लोक कल्याण हेतु करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को विकेंद्रीकृत करने का माध्यम स्थानीय शासन संस्था ही है । स्थानीय शासन संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र को शिखर से निम्नतल तक लाया जा सकता है। स्थानीय शासन लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वह स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं अपनी सक्रिय भागीदारी से करें, इसी कारण स्थानीय शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की नींव तथा आधारशिला का जाता है । लॉर्ड ब्राइस ने इस संदर्भ में इनको लोकतंत्र की पाठशाला कहा।

भारत में स्थानीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण और नगरीय। 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। उसी प्रकार 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

74 वा संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ, जो कि शहरी अर्थात नगरीय स्थानीय शासन व्यवस्था से संबंधित है । 74वा संविधानिक संशोधन में लोकतंत्र के माध्यम से आम लोगों की सहभागिता स्थानीय स्वशासन में सुनिश्चित की है। सभी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्थानीय लोगों को शामिल करने से निर्णय प्रक्रिया प्रभावी, पारदर्शी व समुदाय के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

74 वें संविधान संशोधन के उद्देश्य

- देश में नगर संस्थाओं जैसे – नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद के अधिकारों में एकरूपता बनी रहे।
- नागरिक कार्यकलापों में जनप्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं में निर्णय लेने का अधिकार रहे।
- नियमित समय अंतराल में राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन चुनाव हो सके एवं कोई भी निर्वाचित नगर प्रशासन 6 माह से अधिक समय अवधि तक भंग न रहे, जिससे कि विकास में जनप्रतिनिधियों का नीति निर्माण, नियोजन तथा क्रियान्वयन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
- समाज की कमजोर जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , महिलाओं व पिछड़े वर्गों को नगरीय निकायों में आरक्षण मिले ।
- त्रिस्तरीय व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर पूर्ण रूप से पारदर्शिता बनी रहे।

राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है । क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। संपूर्ण राज्य को 7 संभागों में विभाजित किया गया है। 74 वे संविधान संशोधन से पूर्व राजस्थान में शहरी स्थानीय शासन अर्थात नगर पालिका प्रशासन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के मध्य में महामारियों के भंयकर रूप से फैलने के कारण नगरों की सफाई व्यवस्था व स्वच्छता बनाए रखने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दबाव बनाने के कारण हुआ। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका सन 1864 ईसवी में माउंट आबू में स्थापित की गई। स्वतंत्रता के समय राज्य में 7 जिला बोर्ड, उदयपुर में नगर निगम तथा 136 शहरों, कस्बो में नगर पालिका कार्यरत थी।

राज्य में 1959 में 'राजस्थान नगरपालिका अधिनियम '1959' क्रियान्वित किया गया। वर्तमान में राज्य के नगरीय निकायो की कार्यप्रणाली का संचालन इस अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार हो रहा है। 1959 के अधिनियम में कुल 13 अध्याय तथा 312 धाराएं हैं। राजस्थान में 1 जून 1993 को 74 वा संविधान संशोधन लागू हुआ, इसकी अनुपालना में 9 अगस्त 1994 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत राज्य में शहरी स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया।

74 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राजस्थान में त्रि–स्तरीय व्यवस्था

- **प्रथम स्तर :– नगर पालिका**

राजस्थान में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाई गई इकाई नगर पंचायत के स्थान पर नगर पालिका बोर्ड (दितीय, तृतीय , चतुर्थ श्रेणी) बनाए गए। इस संदर्भ में यह ध्यान में रहे कि राजस्थान में

समस्त नगरीय संस्थाओं का गठन एक ही अधिनियम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम –1959 के अंतर्गत किया गया है। नगर पालिका जनता की सभा है, वह नगर पालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नगर के शासन के लिए विधि का निर्माण करती है। नगर पालिका में समस्त स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। एक नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव क्षेत्र निर्वाचनो के लिए कई वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक स्थान नगर पालिका के 1 वार्ड का प्रतिनिधि होगा और प्रत्येक वार्ड से व्यस्क मताधिकार के आधार पर वार्ड के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है जिन्हें पार्षद करते है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण होता है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 की आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान में राजस्थान में नगर पालिकाओ की कुल संख्या 169 है। राज्य सरकार द्वारा एक नगर पालिका को इसकी 5 वर्ष की सामान्य कार्य विधि समाप्त होने से पूर्व ही विघटित करने का निर्णय ले सकती हैं, लेकिन ऐसा निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकार सुनवाई के लिए नगर पालिका को पूर्ण अवसर प्रदान करती है तथा विघटित की स्थिति में 6 माह के अंदर नवीन नगर पालिका गठन करने के लिए निर्वाचन कराने होंगे।

संविधान की 12 वीं अनुसूची के अंतर्गत, नगर पालिकाओं को निम्न प्रकार के कार्य प्रदान किए गए हैं :–

- नगर योजना जिसमें शहरी योजना सम्मिलित हो।
- भूमि उपयोग तथा इमारतों की निर्माण का नियमन ।
- आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए योजनाएं।
- सड़के तथा पुल निर्माण।
- घरेलू उद्योग तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल की व्यवस्था ।
- जन स्वास्थ्य, स्वच्छता , मल– वाहन तथा कूड़ा करकट का प्रबंधन।
- अग्नि सेवाएं ।
- नगरीय वृक्षारोपण , पर्यावरण का संरक्षण, जैविक वैज्ञानिक पहलुओं में बढ़ोतरी।
- कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा जिसमें विकलांग तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग सम्मिलित हो।
- झुग्गी झोपड़ियों में सुधार तथा स्थायित्व को बढ़ावा।
- नगरीय गरीबी में कमी।
- नगरीय सुख सुविधाएं जैसे– पार्क , बगीचों तथा खेल के मैदानों की व्यवस्था ।
- सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा ललित कलाओं से संबंधित पहलुओं में बढ़ोतरी।
- दफनाना, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, श्मशान घाट तथा श्मशान में विद्युत प्रबंध।
- पशुओं का बंध्य स्थान या बाड़े, पशुओं की निर्दयता पर रोक लगाना ।
- जन्म – मरण संबंधित आंकड़े, जिसमें जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण सम्मिलित हैं।
- सार्वजनिक सुख सुविधाएं जिसमें गलियों में रोशनी, पार्किंग स्थान, बस स्टॉप तथा सार्वजनिक सुविधा सम्मिलित हैं।
- वधशालाओ तथा धर्म कारखानों का नियमन।

नगर पालिका पार्षदों में से एक अध्यक्ष चुनती है, जिसका कार्यकाल स्वयं उसके कार्यकाल के साथ साथ चलता और समाप्त होता है। अध्यक्ष नगर पालिकाओं की बैठकों का संचालन व नियमन करता है। समस्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष ही करता है।

- **द्वितीय स्तर :– नगर परिषद**

74 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में दूसरा स्तर नगर परिषद है। यह परिषद भी जनता की सभा है। एक लाख से अधिक किन्तु 5 लाख से कम तक की आबादी वाले नगरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है। इसका अध्यक्ष सभापति कहलाता है। परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों को

क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त अधिकारी को आयुक्त का जाता है। राजस्थान में वर्तमान में कुल नगर परिषदों की संख्या 34 है। नगर पालिका की भांति इसमें भी कार्यकाल, आरक्षण, पदाधिकारी, भंग होने की प्रक्रिया, कार्य एवं शक्तियां एक समान है। नगर पालिका की भांति नगर परिषद में भी कार्य सुविधा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है

जैसे :–

- वित्त समिति
- स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति
- भवन निर्माण समिति
- नियम–उपनियम समिति
- गंदी बस्ती सुधार समिति
- अपराधों का संबंध और समझौता समिति।

नगर पालिका के अध्यक्ष की तरह नगर परिषद के सभापति को भी विभिन्न प्रकार की शक्तियां जैसे :– विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, निर्वाचक की शक्तियां इत्यादि प्राप्त है।

- **तृतीय स्तर :– नगर निगम**

जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, वहां की स्थानीय स्वशासन संस्था नगर निगम कहलाती है । इसका अध्यक्ष महापौर या मेयर कहलाता है। वर्तमान में राजस्थान में जयपुर, जोधपुर तथा कोटा में दो–दो नगर निगम तथा अजमेर, बीकानेर उदयपुर व भरतपुर में एक–एक नगर निगम है। इस प्रकार वर्तमान में कुल राजस्थान में 10 नगर निगम है। अजमेर में नगर निगम का गठन 30 जुलाई 2008 को, बीकानेर में नगर निगम का गठन अगस्त 2008 में, उदयपुर में नगर निगम का गठन 28 मार्च 2013 को किया गया। भरतपुर में नगर परिषद के स्थान पर नगर निगम के गठन की अधिसूचना 13 जून 2014 को जारी की गई। 18 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर जयपुर, जोधपुर, कोटा में दो–दो नगर निगम गठित करने का प्रावधान किया गया।

नगर निगम स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। नगर निगम के कार्यकारी निकाय का संचालन कमिश्नर के द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। नगर पालिकाओं की तुलना में नगर निगम अधिक शक्तिशाली होता है। बजट तैयार करने व खर्च करने की अधिक स्वतंत्रता के साथ ही उसे कर लगाने की अधिक शक्तियां भी मिली हुई है। किन – किन नगरों में नगर निगम की स्थापना की जाए, यह विषय पूर्ण रूप से राज्य सरकार की नीतियों का प्रश्न होता है। राज्य सरकार नगर निगम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार भी रखती है।

नगर परिषद, नगर पालिका की भांति नगर निगम में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यकाल, आरक्षण की व्यवस्था विघटित होने की प्रक्रिया, राज्य चुनाव आयोग, महापौर की विभिन्न शक्तियां जैसे– कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां इत्यादि शामिल है।

नगर निगम में प्राय दो प्रकार की समितियां होती है

- **सांविधिक समितियां –** सांविधिक समिति से तात्पर्य ऐसी समिति से हैं, जिनकी रचना उस विधि के अंतर्गत की जाती है जिसके द्वारा निगम का निर्माण होता है। प्रायः सभी अधिनियमो में नगर निगम के कार्य संचालन के लिए कुछ समितियों का उल्लेख किया जाता है। समितियां चूंकि अधिनियम द्वारा सृजित होती है, इसलिए उनके गठन, शक्तियों, कार्यों एवं अधिकारों के विषय में भी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किए जाते है।
- **गैर–सांविधिक समितियां –** ये ऐसी समितियां होती है, जिनकी रचना नगर निगम की परिषद अपने प्रस्ताव के द्वारा करती है। इन समितियों का अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं होता है। परिषद अपने

उत्तरदायित्व अथवा कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए कोई भी समिति बनाने का निर्णय ले सकती हैं। प्रायः सभी नगर निगमों में ऐसी गैर सांविधिक समितियों की रचना भी की जाती है। इस प्रकार बनाई जाने वाली समिति कार्यकाल की दृष्टि से अस्थाई होती है और अपने निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के बाद यह समाप्त हो जाती है।

भारत सरकार व राज्य सरकार की संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं :– नगरीय निकायों के संदर्भ में

- **स्मार्ट सिटी मिशन**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को यह मिशन लांच किया गया था। मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। अभी 98 शहरों का चयन कर लिया गया है, इनमें से 20 शहरों का चयन कर पहले वर्ष में विकास किया जाएगा । पहले वर्ष 200 करोड़ रुपए तथा अगले 4 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष 40 शहर तथा वर्ष 2017 में से 40 शहर लिए गए । केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि के बराबर राशि राज्य सरकार को व्यय करनी पड़ेगी। स्मार्ट सिटी में एक क्लिक पर सभी सेवाएं, कचरे का सही इस्तेमाल, पानी का प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा पर जोर, बेहतर आवागमन, शिक्षा व रोजगार, ई–हॉस्पिटल, प्रदूषण मुक्त रहने के लिए सोसाइटी उपलब्ध होगी। राजस्थान से स्मार्ट सिटी के लिए चार शहर जयपुर, उदयपुर, अजमेर व कोटा का चयन किया गया था पहले वर्ष के 20 शहरों में राजस्थान से जयपुर व उदयपुर को सम्मिलित किया गया है।

- **अमृत योजना**

अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अरबन ट्रांसफॉरमेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को लागू किया था। इनमें से एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर, पर्यटन तथा पहाड़ों पर स्थित राज्य की राजधानी के 500 शहरों पर यह योजना लागू होगी। इस योजना के तहत परिवारों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जीवन स्तर में सुधार हो। इस योजना में यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वॉटर एंड सीवरेज को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया गया । अमृत योजना में केंद्र का भाग 50ः तथा राज्य सरकार व स्थानीय निकाय का 50ः होगा। यदि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है तो केंद्र का हिस्सा एक तिहाई होगा।

  - हेरिटेज सिटी विकास और विस्तार (ह्रदय योजना) – यह योजना एक अभियान के रूप में दिसंबर 2015 से मार्च 2018 के मध्य लागू की जाएगी तथा योजना में शामिल शहरों में हेरिटेज संरक्षण पर होने वाला सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी । इसमें शहरी विरासत को बरकरार रखते हुए विकास, स्वच्छता, साफ–सफाई, सुरक्षा के लिए जोर देने के साथ एक समावेशी और समन्वित तरीके से सौंदर्य करण द्वारा शहर का विकास किया जाएगा । साथ ही पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और विरासत स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा।
  - सभी के लिए आवास – 26 सितंबर 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक नई आवासीय योजना की घोषणा की। वर्ष 2000 तक राज्य में आवास की अनुमानित आवश्यकता करीब 10 लाख आंकी जा रही है, इसलिए इन घरों को क्लस्टर के रूप में सभी के लिए राजस्थान हाउसिंग के तहत निर्माण किया जाएगा । इनमें से 85ः घर ई डब्ल्यू एस व एलआईजी श्रेणियों के होंगे।

- **स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम**

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को झंडारोहण समारोह में लाल किले से दिए गए भाषण में स्वच्छता कार्यक्रम को सरकार का महत्वपूर्ण एजेंडा माना है । जन सहभागिता व नागरिकों के सक्रिय सहयोग से 2 अक्टूबर 2019 तक तक संपूर्ण भारत में अच्छे स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा 26 दिसंबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एवं इसके सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय उच्च अधिकारी प्राप्त समिति, जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति एवं

सिटी लेवल निगरानी समिति का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2015 को गठन किया गया। शहरी क्षेत्र में खुले में शौच करने वालों को प्रतिबंधित करने एवं शौचालय विहीन मकानों में शौचालय का निर्माण किया जाएगा । प्रत्येक मकान में शौचालय बनाने की अनुमानित लागत 20 हजार हैं। प्रदेश में प्राय सभी शहर ओडीएफ घोषित हो चुके हैं।

- **सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन**

स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के तहत स्वायत शासन विभाग द्वारा सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापना हेतु प्रस्ताव निकायों को भिजवाया गया था । अनेक निकाय द्वारा इस मशीन की स्थापना की जा चुकी है।

- **दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन**

केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को बंद करते हुए 19 फरवरी 2016 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया। इसमें केंद्र का 75ः तथा राज्य का 25ः भाग है। एक लाख से ज्यादा आबादी वाले 40 शहरों में यह मिशन शुरू किया गया था लेकिन वर्ष 2016–17 से विस्तार कर सभी नगरीय निकायों में लागू कर दिया गया।

- **गौरव पथ निर्माण**

190 शहरी निकायों में शहर की एक मुख्यतया महत्वपूर्ण सड़क को गौरव पथ के रूप में विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री ने 23 मई 2016 को समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे । गौरव पथ की सड़क लंबाई 1 से 3 किलोमीटर होगी। गौरव पथ के रूप में कौन सी सड़क होगी इसका निर्णय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी, सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा तथा धनराशि संबंधित निकाय को देना होगा ।

- **इंदिरा रसोई योजना**

इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। पूर्व में ये योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जानी जाती थी। 'कोई भूखा न सोए' का लक्ष्य रखते हुए इस योजना में गरीबों को ₹8 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा शहर में मुख्य स्थानों पर मोबाइल वाहनों से उपलब्ध करवाई जा रही है।

- **जल शक्ति अभियान**

भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों में 1 जुलाई 2019 से जल शक्ति अभियान शुरू किया है। प्रदेश के 29 जल प्रभावित जिलों के 111 शहरी निकायों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन, जल स्त्रोतों का कार्य कलाप, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग एवं वृक्षारोपण को प्रमुखता से शामिल किया गया।

नगरीय निकायों की प्रमुख समस्याएं

- भ्रष्टाचार की समस्या।
- कच्ची बस्तियों के रूप में अतिक्रमण की समस्या।
- आवासीय योजनाओं की कमी।
- अतिक्रमण हटाने में संवेदनहीनता।
- रसूखदारों द्वारा प्रभाव का इस्तेमाल करना।
- घटिया नालियों व सड़क का निर्माण।
- शहर की साफ सफाई व्यवस्था व स्वच्छता में कमी।
- अध्यक्ष व पार्षदों में तालमेल का अभाव।
- वर्षा जल के विकास के लिए उचित व्यवस्था काअभाव।
- विभिन्न विभागों में तालमेल की कमी।
- जन सहभागिता में कमी।
- प्रशासन शहरों के संग शिविर में धांधली।
- वित्त का दुरुपयोग।

निष्कर्ष

इस प्रकार 74 व संविधान संशोधन का संबंध नगरीय स्थानीय शासन से है। नगरीय स्थानीय शासन व्यवस्था को लोकतंत्र की पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। इस के माध्यम से ही जनता शासन कार्यों के प्रति रुचि लेती है तथा अपनी जनसहभागिता निभाती है। राजस्थान में शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था की तीनो स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण अपनाया गया है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से संचालन हो सके। 74 वा संविधान संशोधन वास्तविक में तभी सफल हो सकता है, जब शासन की तीनों निकायों में आम जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। स्थानीय शासन की संस्थाओं में आम जनता को जातीय, धार्मिक आधार पर मतदान न कर के उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर मतदान करना चाहिए, ताकि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सके । केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए वित्त व्यवस्था, जन जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इनको और अधिक मजबूती मिले।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. माहेश्वरी एस आर, भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशक आगरा – 2020 पृष्ठ संख्या 240 – 244
2. शर्मा अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स जयपुर – 2021 पृष्ठ संख्या 88 – 90
3. शेखावत डॉ प्रदीप सिंह, शहरी विकास अभिकरण के आयाम, अखण्ड पब्लिशिंग हाउस दिल्ली – 2018 पृष्ठ संख्या 157 – 159
4. जोशी प्रो. आर पी एवं भारद्वाज डॉ अरुणा, भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन , राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर – 2009 पृष्ठ संख्या 110 – 114
5. जैन डॉ. पुखराज व फड़िया बी एल, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन आगरा –2012 पृष्ठ संख्या 88 – 90
6. फड़िया डॉ बी एल, भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन आगरा – 2014 , पृष्ठ संख्या 715 – 718
7. लेख, स्थानीय शासन सफल या असफल ? दृष्टि पत्रिका, पृष्ठ संख्या 6 – 8
8. पालिका विकास पत्रिका, अगस्त – सितंबर 2021 पृष्ठ संख्या 20 – 25
9. अरोड़ा आर के गोयल, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विश्व प्रकाशन नई दिल्ली – 2018
10. सिन्हा वी एम, भारत में नगरीय सरकारें, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, पृष्ठ संख्या 28 – 30

❖◆❖